न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 79/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 रामोतार नवीरा सेवाराम पुत्र हरनारायण जाति मीणा(फौत)
2 राजेश पुत्र अमीलाल जाति अहीर
3 तेजसिंह पुत्र अमीलाल जाति अहीर
निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर

:-- वादीगण रेस्पो0

4 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर
5 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड
6 महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति मीणा
7 बहादुरसिंह पुत्र मूलचन्द जाति मीणा
8 गिर्राज पुत्र मूलचन्द जाति मीणा
निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील बहरोड जिला अलवर
9 घासी पुत्र रामजीलाल जाति जाट
10 केवलराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट
11 करतारसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट
12 सुरेश कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट
13 विक्रम कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट
निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर
14 / मैसर्स के0 एन0 एस0 डवलपर्स प्रा0 लि0 ऑफिस एस0सी0ओ0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

100–101 ग्राउण्ड फ्लोर, सैक्टर 16 हुड्डा मार्केट, फरीदाबाद जर्ये डायरेक्टर केशव गोयल, नरेन्द्र बजाज व श्यामसुन्दर चौधरी जर्ये अधिकृत सिगनेटरी डॉ0 तेजपाल

:---- प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड दिनांक 16.10.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री शैलेन्द्र भार्गव

2 वकील रेस्पो0सं02,3 :– श्री विनोद यादव

3 वकील रेस्पो0 सं0 14 :– श्री राजवीरसिंह

निर्णय दिनांक 07/05/2018

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2007 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात व रकबा पूर्ति में पारित निर्णय दिनांक 16.10.09 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का वाद डिक्री किया गया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलांट जयसिंह ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपीलांट प्रतिवादी की इकतरफा में पारित किया गया है । मेरी तामील नहीं कराई गई । मुझे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे और अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि अपीलांट विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 1.90 हेक्टेयर का कानूनन खातेदार है । भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा नियमानुसार नया ट्रेस व नये खसरा नम्बरान कायम किये गये हैं । अपीलांट द्वारा किसी की जमीन पर कोई नाजायज कब्जा नहीं किया गया है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गलत तौर पर वाद डिक्री किया जाकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

मेरी खातेदारी की भूमि में से 4 एयर रकबा अपीलार्थीन डिक्री द्वारा कम करने के आदेश दे दिये गये । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3 विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । इनकी प्रोपर तामील हो चुकी थीं । परन्तु ये जानबूझकर तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे । देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है । अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । हमारी भूमि का रकबा 4 एयर अपीलांट की भूमि में शामिल कर दिया गया था, जिसे तहत न्यायालय ने सही तौर पर दुरूस्त किया है । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि विवादित भूमि अवाप्त हो चुकी है । इसलिये इसे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कथन है कि मेरी तामील सही प्रकार से नहीं की गई थी । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो ऑर्डर शीट दिनांक 12.12.2007 लिखी गई है, उसके जरिये मेरी तामील मानी गई है । सम्मन अवयस्क पुत्र को दिये गये हैं । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील मानने में विधिक त्रुटि की है । आदेश 5 नियम 15 सी0 पी0 सी0 में प्रावधान किया गया है कि यदि प्रतिवादी अपने निवास से अनुपस्थित है तथा उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसके परिवार के व्यस्क सदस्य पर तामील की जा सकती है । ऐसा ही मत 2016 आर0 आर0 टी0 पेज 1394 में भी अभिव्यक्त किया गया है । यदि विवादित आराजी अवाप्त हो चुकी है तो भी पक्षकारान के शेयर का निर्णय राजस्व न्यायालय ही करेगा । जैसा कि 1997 (1) आर0एल0आर0 पेज 285, 2008 आर0 एल0 डब्ल्यू0 (आर0 जे0) पेज 1142, 1990 आर0 आर0 डी0 पेज 534 तथा 1998 आर0 बी0 जे0 257 में अभिनिर्धारित किया गया है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल राज0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अजमेर ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6 जहां तक रेस्पो0 के इस कथन का प्रश्न है कि भूमि अवाप्त हो चुकी है,इसलिये इसको सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तो इस सम्बन्ध में हमने विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीर 2016 आर0 आर0 टी0 पेज 1394 का अध्ययन किया तो पाया कि यदि भूमि अवाप्त हो चुकी हो तो भी पक्षकारान के शेयर का निर्णय राजस्व न्यायालय ही करेगा । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में रेस्पो0 का यह कथन खारिज किया जाता है कि भूमि अवाप्त होने के बाद इसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है ।

7 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । गत खसरा नम्बर 251 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 602 रकबा 0.51 हेक्टयर व 553 रकबा 0.43 हेक्टेयर कुल रकबा 0.94 हेक्टेयर है । गत खसरा नम्बर 225 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, जिसका हाल खसरा नम्बर 552 रकबा 1.90 हेक्टेयर है । गत नक्शे के खसरा नम्बर 251 व 225 का हाल नक्शा सम्वत 2038 से मिलान किया गया । गत व वर्तमान नक्शे की आकृति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है । दोनों नक्शे (गत व वर्तमान) आकृति में समान है । ऐसी स्थिति में गत खसरा नम्बर 225 वर्तमान खसरा नम्बर 552 में से 4 एयर रकबा कम नहीं किया जाना था । गत खसरा नम्बर 251, जिसके हाल खसरा नलम्बर 553 व 602 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से लगते हुये हैं, साबिक नक्शे की तुलना में गैर मुमकिन सडक की चौडाई अधिक हो गई है । उक्त खसरा नम्बरों का कुछ भाग गैर मुमकिन सडक में शामिल हो गया है । गत खसरा नम्बर 225 का क्षेत्रफल 7 बीघा 09 बिस्वा है, जिसका कनवर्ट रकबा 1.8843 हेक्टेयर होता है । हाल खसरा नम्बर 552 का रकबा 1.90 हेक्टेयर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

है, जिसमें से 0.0157 हेक्टेयर रकबा कम किया जाना चाहिये था, जबकि विद्वान तहत न्यायालय ने 4 एयर रकबा कम कर दिया, जो कानूनसम्मत नहीं है । ऐसी स्थिति में हम विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को संशोधित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2009 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 552 में से 4 एयर रकबा कम करने के स्थान पर 0.0157 हेक्टेयर रकबा कम किया जाता है । शेष बचे रकबे का अपीलांट खातेदार रहेगा । शेष रकबे में कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 79/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. जयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 रामोतार नवीरा सेवाराम पुत्र हरनारायण जाति मीणा(फौत)
2 राजेश पुत्र अमीलाल जाति अहीर
3 तेजसिंह पुत्र अमीलाल जाति अहीर
निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर

:-- वादीगण रेस्पो0

4 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर
5 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड
6 महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति मीणा
7 बहादुरसिंह पुत्र मूलचन्द जाति मीणा
8 गिर्राज पुत्र मूलचन्द जाति मीणा
निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील बहरोड जिला अलवर
9 घासी पुत्र रामजीलाल जाति जाट

Scanned by CamScanner

10 केवलराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट

11 करतारसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट

12 सुरेश कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट

13 विक्रम कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट

निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर

14 मैसर्स के0 एन0 एस0 डवलपर्स प्रा0 लि0 ऑफिस एस0सी0ओ0 100–101 ग्राउण्ड फ्लोर, सैक्टर 16 हुड्डा मार्केट, फरीदाबाद जर्ये डायरेक्टर केशव गोयल, नरेन्द्र बजाज व श्यामसुन्दर चौधरी जर्ये अधिकृत सिगनेटरी डॉ0 तेजपाल

:---- प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 16.10.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री शैलेन्द्र भार्गव

2 वकील रेस्पो0सं02,3 :– श्री विनोद यादव

3 वकील रेस्पो0 सं0 14 :– श्री राजवीरसिंह

पर्चा डिक्री दिनांक 07/05/2018

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2009 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 552 में से 4 एयर रकबा कम करने के स्थान पर 0.0157 हेक्टेयर रकबा कम किया जाता है । शेष बचे रकबे का अपीलांट खातेदार रहेगा । शेष रकबे में कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner